



2026:AHC:49220

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या -8835 वर्ष 2026

श्रीमती बबीता देवी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: लाल मणि सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुधीर भारती

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादीयों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर को निर्देश दिया जाए कि वे यू पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33/34 के अंतर्गत, दिनांक 03.12.2019 के बाद संख्या टी 201905440106293 (बबीता देवी बनाम बिश्वंभर साही एवं अन्य) का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि यू पी. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत प्रस्तुत एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस चरण पर, यू पी. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख

WRIC सं. 8835 वर्ष 2026

2

करना उचित और उपयुक्त होगा, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को उसका निपटारा, विधि के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए, एक समय-सीमा के भीतर करना होगा। यू पी. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7),

"(7). तहसीलदार, म्यूटेशन के निर्विवाद मामलों का निपटारा, मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों के भीतर करने का प्रयास करेंगे; और म्यूटेशन के विवादित मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर करने का प्रयास करेंगे। यदि इस अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. उक्त प्रावधान के होते हुए भी और पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों के आलोक में प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर को यह निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन को अपने हाथ में लें और उसका निपटारा कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए तथा उसकी अपनी खूबियों के आधार पर, अत्यंत शीघ्रता से करें और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसा करें किंतु बिना किसी अनावश्यक स्थगन के—जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

10 मार्च, 2026

टी.एस.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।